

From

Deputy Commissioner-cum-President,
District Red Cross Society,
Ambala.

To

The District Information Officer,
N.I.C., Ambala.

No. ANP/18/112 dated 16/1/2018

Subject:

Uploading of Tender Notice for Annapurna Canteen Booth in the premises of Traume Centre, Civil Hospital, Ambala City.

R/Sir,


The District Red Cross Society, Ambala Annpurna invites the interested firms/persons for arranging Annpurna Canteen Booth in the premises of Traume Centre, Civil Hospital, Ambala City through Tender on the enclosed terms and conditions and Tender Notice.

You are requested to kindly upload the enclosed Tender Notice for Annpurna Canteen in the premises of Traume Centre, Civil Hospital, Ambala City alongwith terms and condions attached in the District Website i.e. www.ambala.gov.in on or before 18-01-2018:

Encls. As above.


Secretary,

For Deputy Commissioner-cum-President,
District Red Cross Society, Ambala.


16/1/18

कार्यालय अन्नापूर्णा प्रोजेक्ट मार्फत जिला रैडक्रास शाखा, अम्बाला

निविदा सूचना

जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला अन्नापूर्णा द्वारा ट्रामा सेंटर परिसर, नागरिक अस्पताल, अम्बाला शहर के प्रांगण में निर्मित कैंटीन बूथ (size 14'X14') को मासिक किराए पर दो वर्ष के लिये ठेके पर दिये जाने बारे सीलबंद निविदाएं आमंत्रित है, जिसके लिये निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरते हुये दिनांक 05-02-2018 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है, जो कि सांय: 3.00 बजे कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0), अम्बाला शहर में खोली जायेगी। इच्छुक पार्टिया/व्यक्ति जिनको कैंटीन चलाने का कम से कम एक वर्ष अनुभव है, अपने पहचान पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र के साथ निविदा में शामिल हो सकते है, निविदा में शामिल होने के लिये सम्बन्धित पार्टी/व्यक्ति को मु0 25,000/- रु0 की राशि का ड्राफ्ट जो कि "District Red Cross Society, Ambala Annapurna" के पक्ष में हो या नगद जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला अन्नापूर्णा में जमा करवाना होगा। निविदा की अन्य नियम व शर्तें कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला अन्नापूर्णा के नोटिस बोर्ड व जिला प्रशासन की वैबसाईट ambala.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

सचिव,

जिला रैडक्रास सोसाईटी,

अम्बाला अन्नापूर्णा।

दूरभाष: 0171-2530556

ट्रामा सेंटर परिसर, नागरिक अस्पताल, अम्बाला शहर के प्रांगण में स्थित अन्नापूर्णा कैटीन बूथ
मार्फत जिला रैडक्रास सोसाईटी, शाखा, अम्बाला की निविदा व चलाने हेतु नियम व शर्तें

1. अन्नापूर्णा कैटीन बूथ ठेका अवधि शुरू में दो वर्ष के लिये होगी, जो कि कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मासिक किराये में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये आगामी एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
2. उक्त निविदा में हिस्सा लेने हेतु निविदा फार्म कार्यालय से कार्यालय दिवस अनुसार मुबलिंग 100/- रुपये के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें दो कॉलम होंगे, जिसके ठेकेदार के पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों का विवरण होगा और दूसरे हिस्से में उसके द्वारा दिया गया मासिक/वार्षिक रेट होगा।
3. यह कि निविदा में हिस्सा लेने के लिये ठेकेदार को निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरते हुये पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, पिछले छः माह की बैंक स्टेटमेंट व पिछले दो साल की आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रतियां साथ लगानी होंगी, कागजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निविदा फार्म को निरस्त किया जा सकता है।
4. यह कि निविदा में हिस्सा लेने के लिये ठेकेदार के पास कम से कम एक वर्ष उक्त कार्य करने का अनुभव होना चाहिये, जिसकी सत्यापित प्रति निविदा फार्म के साथ कार्यालय में जमा करवायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र के बिना निविदा फार्म को निरस्त करने का अधिकारी कमेटी के पास होगा।
5. निविदा फार्म को सीलबंद लिफाफे में उसके उपर "Application/Tender for Annapurna Canteen Booth for Civil Hospital, Ambala City." अंकित करते हुये जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
6. यह कि निविदा में हिस्सा लेने के लिये पूर्व अग्रिम जमानत राशि में मु० 25,000/- रु० की राशि का डिमांड ड्राफ्ट जिला रैडक्रास सोसाईटी, अन्नापूर्णा अम्बाला के नाम या नगद जमा करवाना होगा।
7. निविदा हेतु न्यूनतम रिजर्व मासिक किराया 25,000/- रुपये रखा गया है।
8. कैन्टीन भवन/ बूथ पर अन्नापूर्णा कैटीन बूथ प्रथम पक्ष से सम्बन्धित का नाम लिखा होगा।
9. अन्नापूर्णा कैटीन बूथ 24 घण्टे के लिए खुली रहेगी।
10. यह कि निविदा राशि को स्वीकार करने का अधिकार उपायुक्त, अम्बाला को होगा।
11. यह कि सबसे अधिक बोली देने वाले निविदाता को आगामी तीन महीने का एंडवास किराया निविदा खुलने के बाद तीन दिन के अन्दर-2 कार्यालय जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला में जमा करवाना होगा, जो कि बतौर सिक्योरिटी कार्यालय में जमा रहेगा और ठेका के अन्तिम महीनों में एकजस्ट किया जायेगा।
12. यह कि सबसे अधिक निविदा राशि देने वाला निविदाता यदि तीन दिन के अन्दर- / तीन महीने का एंडवास किराया जमा ना करवाने की सूरत में अग्रिम राशि मुबलिंग 25,000/- रुपये जब्त करते हुये द्वितीय निविदाता (दूसरे नम्बर पर आने वाली निविदा) को कार्य अलाट कर दिया जायेगा।
13. यह कि सबसे अधिक निविदा देने वाले निविदाता/ठेकेदार को कार्यालय से स्वीकृति पत्र मिलने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर कार्य शुरू करना होगा और निर्धारित समय में कार्य शुरू न करने पर भी मासिक किराया स्वतः आरंभ हो जायेगा।
14. यह कि निविदाता द्वारा 10 तारीख तक मासिक किराया कार्यालय में जमा नहीं करवाता है तो राशि पर लेट फीस के रूप में पहले महीने तक 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज लगेगा तथा यदि वह एक महीने के बाद भी राशि जमा नहीं करता तो उपायुक्त अम्बाला को कैटीन का ठेका/लाईसेंस रद्द करने का अधिकार होगा तथा निविदाता/ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
15. कैन्टीन भवन/बूथ अच्छी स्थिति में निर्धारित अवधि बाद यानि दो वर्ष बाद खाली करनी होगी तथा जिसका कब्जा स्वतः ही प्रथम पक्ष जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला अन्नापूर्णा के नाम होगा।
16. बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन ईन्धन गैस का कनेक्शन जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला अन्नापूर्णा के नाम होगा तथा इन कनेक्शनों पर जो राशि खर्च होगी उसकी अदायगी ठेकेदार स्वयं वहन करेंगे तथा अवधि समाप्त होने उपरान्त यह कनेक्शन No Due Certificate के साथ कार्यालय जो कि प्रथम पक्ष से सम्बन्धित है, में जमा करवाने होंगे और प्रत्येक दो महीने बाद जमा करवाये गये बिलों की रसीदों की फोटोप्रतियां स्वयं सत्यापित करते हुये कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य होगी।
17. कैन्टीन को चलाने के लिए बिजली पानी व अन्य खर्च जो भी होंगे वह निविदाता/ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे।
18. कैन्टीन चलाने हेतु स्वास्थ्य विभाग या किसी अन्य विभाग से फूड लाईसेंस/सेल टैक्स संख्या की आवश्यकता होगी तो वह निविदाता/ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित विभाग से अपने खर्च पर लेना होगा।
19. कैन्टीन सेवाएं आम जनता के लिए उपलब्ध करनी होगी।
20. यह कि कैटीन के स्थान को बदलने का अधिकार उपायुक्त, अम्बाला का होगा।

21. कैंटीन/बूथ में अच्छी गुणवत्ता की खाद्य सामग्री व अन्य सामान की बिक्री की अनुमति होगी।
22. चाय, काफी, दूध के अतिरिक्त कोई भी खाद्य पदार्थ कैंटीन में नहीं बनाया जायेगा। बने हुये सामान की ही बिक्री होगी।
23. बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की दरें बाजार दरों से अधिक नहीं होंगी व दरों का प्रदर्शन कैंटीन से बाहर अंकित करना होगा।
24. यह किरायादि ठेकेदार निर्धारित रेट से अधिक राशि वसूल करता पाया गया तो उससे प्रथम बार 500/- रुपये, द्वितीय बार 1000/- रुपये, तृतीय बार 2000/- रुपये जुर्माना राशि वसूल की जायेगी और उसके बाद नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये ठेका रद्द किया जा सकता है, जिस बारे माननीय उपायुक्त, अम्बाला का निर्णय अंतिम होगा, इसके विरुद्ध ठेकेदार कोर्ट में नहीं जा सकता।
25. कैंटीन तथा इसके आसपास साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
26. यह कि कैंटीन से सम्बन्धित सिविल व अन्य मामलों का उत्तरदायित्व निविदाता/ठेकेदार का होगा।
27. यदि किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि कैंटीन में बेची जाने वाली वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की नहीं हैं तथा इन खाद्य वस्तुओं से उपयोग होने वालों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो कैंटीन ठेका अवधि तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा निविदाता/ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।
28. यह कि सम्बन्धित ठेकेदार यदि निर्धारित अवधि से पहले ठेका छोड़ता है, तो उसकी अग्रिम जमानत राशि (मु0 25000/- रुपये व तीन महीने का एंडवास किराया) जब्त कर लिया जायेगा।
29. कैंटीन भवन में जिला प्रशासन अम्बाला वा जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला के प्रतिनिधि किसी भी समय बिना सूचित किए निरीक्षण करने हेतु प्रवेश के हकदार होंगे।
30. कैंटीन के कर्मचारी बावर्दी होंगे, जिसके ऊपर नेम प्लेट लगी होगी।
31. Constructed structure के आगे किसी भी प्रकार का सामान रखने की अनुमति नहीं होगी।
32. यह कि उपायुक्त, अम्बाला को किसी भी समय अन्य अन्य शर्तें जोड़ने या बदलने का पूर्ण अधिकार होगा।
33. यह कि उपायुक्त, अम्बाला को ठेका/निविदा की अवधि बिना कोई कारण बताये व बिना किसी पूर्ण सूचना के किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।
34. यदि कभी ऐसा पाया गया कि निविदाता/ठेकेदार उपरोक्त शर्तों व नियमों की अवहेलना कर रहे हैं तथा इनका व्यवहार ग्राहकों के साथ ठीक नहीं है तो उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला को बिना किसी सूचना के अन्नापूर्णा कैंटीन बूथ अवधि को तुरन्त रद्द करने का अधिकार होगा।
35. यह कि यदि ठेकेदार उक्त कार्य को निर्धारित अवधि से पूर्व छोड़ता है, तो उसे Black List करने का अधिकार जिला रैडक्रास सोसाईटी, अम्बाला के पास होगा।
36. यह कि यदि किसी प्रकार का कोई झगड़ा या झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति/झगड़े को सुलझाने में प्रथम अपीलुय अधिकारी उप मण्डल अधिकारी (ना0), अम्बाला शहर होंगे तथा अंतिम व द्वितीय अपीलुय अधिकारी उपायुक्त, अम्बाला होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा। इस अधिकार के तहत उपायुक्त अम्बाला को अन्नापूर्णा कैंटीन बूथ से सम्बन्धित नियम व शर्तों में बदलाव व अन्य शर्तें जोड़ने का एकाधिकार होगा तथा किसी भी पक्ष को उपायुक्त अम्बाला के एकाधिकार को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।